Sugar Mills

3232. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the estimated number of employees in the sugar mills in India and the capital invested during 1957-58; and

(b) the annual capacity of sugar production in each sugar mill?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a) The number of employees in the sugar mills in India is about 1.82 lakhs and the capital invested in the industry is about Rs. 110.33 crores.

(b) A statement giving the required information is placed on the Table of Lok Sabha. [*See* Appendix VIII, annexure No. 115.]

Betel Vines

3233. Shri E. V. K. Sampath: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a devastating disease had been causing ruin to the betel vines in the Madras State, especially in Velur, Pothanur, Pandamangalam areas of Salem District; and

(b) if so, the steps taken to combat it?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a) Yes. The disease known as wilt has been prevalent in many parts of the Madras State, particularly the Salem district of that State.

(b) From January, 1957 upto the end of February, 1958, a total crop area of about 381 acres has been sprayed with chemicals in the Districts of Salem, Coimbatore, Tanjore, Tiruchirrapalli, and South Arcot with a view to combating the disease. This has been done through the efforts of the Plant Protection Organisation of the State Government.

Apart from this, the Indian Council of Agricultural Research are also financing a scheme for investigation of the wilt disease of betel vines and for evolving methods to control the disease.

सड़क परिवहन

३२३४. **श्री भ० दी० मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार रेलवे टाइम टेबल के समान रोडवेज़ की सेवाओं का टाइम टेबल प्रकाशित कराने का प्रबन्ध करेगी जो उपयुक्त स्थानों पर मूल्य देकर मिल सके ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादर) विधान के अन्तर्गत, सड़क परिवहन सम्बन्धी कार्याकारी सत्ता राज्य सरकारों के हाथ में है। मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के मुताबिक मोटर परिवहन के चलाने का प्रबन्ध राज्य सरकारें करती हैं। उक्त अधिनियम में कहे गये शासन सम्बन्धी काम काज को चलाने के लिए एक राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है और ऐसे हर एक क्षत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा ४८ में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुसाफिर गाड़ी परमिट पर यह शर्त लागू करे कि उस पर गाड़ी चलाने की टाइम टेबल की प्रतियां लगी हों या उस अधिकारी द्वारा जो खास मुसाफिर गाड़ी मंजूर की गई है और जहां कहीं वह अपने मार्ग के नियत अड्डों और रुकने के स्थानों पर ठहरती हो या उस क्षेत्र में जहां कि वह गाड़ी नियत टाइम टेबल के विपरीत समय समय पर अधिकारी द्वारा बताए गए नियत स्थानों से आगे पीछे रुके वहां पर गाड़ियों पर टाइम टेबल की प्रतियां लटकाई जाएं।

देश में लगभग सभी राज्य परिवहन कम्पनियां अपनी मोटर गाड़ियों के चलाने